

Name of Course : B.A. (Hons.) ECONOMICS

**PAPER – IV : Money Banking &
Public Finance**

LECTURE 05

**Topic : Comparative study of
Direct & Indirect Taxes**

Prof. (Dr) Durga Nand Jha


Co-ordinator Economics

Nalanda Open University (NOU)

25/04/20


COMPARATIVE STUDY OF DIRECT VS INDIRECT

TAXES प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों का तुलनात्मक अध्ययन



[A] Allocation of Resources Aspect

साधनों का आवंटन पक्ष
साधनों के समान वितरण की दृष्टि से प्रत्यक्ष
कर, परोक्ष कर की अपेक्षा श्रेष्ठ है.



[B] Administrative Aspect

प्रशासकीय पक्ष

प्रत्यक्ष कर को करवाना evade करना चाहता है जिससे उत्पादकता कम होती है परोंदा कर प्रशासनिक दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष कर की तरह एकमुश्त भुगतान नहीं करना पड़ता है बल्कि पीछे और सरकार को केंचन संभव नहीं है।

[C] Distributive Aspect

वितरणात्मक पक्ष


प्रत्यक्ष कर बेतरह है क्योंकि यह आय एवं धन की विषमता को कम करता है प्रत्यक्ष कर की दर प्रगतिशील होता है इसलिए अधिक आय वाले पर अधिक एवं कम आय वाले को कम कर भुगतान करना पड़ता है। इससे आर्थिक समानता लाया जा सकता है।

परोक्ष कर प्रतिगामी होते हैं, इसका भार निम्नियों पर अधिक पड़ता है

परन्तु यदि आवश्यक वस्तुओं पर उर्बा कम कर लगाया जाए एवं विलासिता सम्बंधी वस्तुओं पर अधिक लो की आर्थिक विषमता को दूर किया जा सकता है।

- प्रत्यक्ष करों में कर का दबाव एवं कर-भार (कराघात और करापात) एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे आय-कर; जबकि अप्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है, जैसे, बिक्री-कर।
- प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य यह है कि यह कर हस्तान्तरित एवं विवर्तित नहीं किया जा सकता वरन् उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे भार सहन करने की आशा की जाती है। आय-कर प्रत्यक्ष कर का श्रेष्ठ उदाहरण है।
- अप्रत्यक्ष करों में यह गुण भी होता है कि ये लोचदार होते हैं अर्थात् करों की दर में वृद्धि करके सरकार अपनी आय बढ़ा सकती है। जिन वस्तुओं की माँग बेलोचदार होती है, उन पर कर की दर सरलता से बढ़ाई जा सकती है। किन्तु इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसी वस्तुओं का मूल्य बढ़ने से गरीब उपभोक्ताओं पर अधिक भार पड़ता है।
- प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर एक-दूसरे के पूरक हैं।
- आनुपातिक करारोपण के अन्तर्गत सभी करदाता अपनी आय का समान अनुपात करों के रूप में भुगतान करते हैं।
- आनुपातिक कर की दरों की तालिका वह होती है जिसमें कर के आधार में परिवर्तन होने पर भी कर की दर समान रहती है।
- विशिष्ट कर वे होते हैं जो वस्तु की संख्या, आकार अथवा भार के आधार पर लगाए जाते हैं जैसे, किसी वस्तु के भार पर 50 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से कर लगाया जाये।
- यथामूल्य कर वे होते हैं जो वस्तुओं के मूल्य के अनुसार लगाए जाते हैं, जैसे, किसी वस्तु के मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाए तो यह यथामूल्य कर होगा। विक्रय कर प्रायः इसी पद्धति से लगाया जाता है।
- एक कर प्रणाली के अन्तर्गत राज्य द्वारा केवल एक कर लगाया जाता है जो या तो कृषि उत्पादन पर हो सकता है, आय पर हो सकता है अथवा अन्य किसी वस्तु पर हो सकता है।
- आजकल प्रायः सब देशों में बहुकर प्रणाली ही लोकप्रिय हैं। इन करों में प्रगतिशीलता का गुण लाकर इन्हें न्यायपूर्ण भी बनाया जा सकता है। आजकल सरकारें आय-कर, विक्रय-कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, मृत्यु कर, उत्पादन कर, आयात कर आदि अनेक करों को अपना रही हैं।
- मूल्य वर्धित कर (VAT), विक्रय कर के विकल्प के रूप में लागू किया गया है सबसे पहले 1954 में इसे फ्रांस में लागू किया गया जहाँ निर्यात वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग दर से मूल्य वर्धित कर लगाया गया।
- मूल्य वर्धित कर व्यापक रूप से समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक कर है जिसमें निर्यात वस्तुओं एवं शासकीय सेवाओं को पृथक् कर दिया जाता है। यह कर प्रत्येक स्तर पर व्यवसाय की मूल्य वृद्धि पर जोड़ा जाता है। अतः इसे मूल्य वर्धित कर कहते हैं।
- MODVAT का अभिप्राय है—Modified Value Added Tax अर्थात् संशोधित मूल्य वर्धित कर। MODVAT पूर्व में प्रचलित VAT (मूल्य वर्धित कर Value Added Tax) का ही संशोधित रूप है।

Tax to GDP Ratio (% age)



Tax on income

- Personal Income Tax
- Corporate Income Tax

Tax on goods and services

- Value Added Tax
- Special Consumption Tax
- Environment Protection Tax

Tax on property


- Agriculture Land Use Tax
- Non-Agriculture Land Use Tax

Other Taxes

- Export - Import Tax
- Natural Resource Tax
- Licence Tax

Major differences between the existing system and GST could be summed up as:

GST	EXISTING SYSTEM	ISSUE
Under GST, there would be only one law as GST will subsume all the various taxes.	There are distinct tax laws for each levy. For instance Central Excise Act, 1944, State VAT laws, etc.	Laws & Regulations
There would be one CGST rate and one uniform SGST rate across all the states	There are different tax rates. For instance Excise 12.36 %, Service Tax 14% and VAT as per respective State laws.	Rates of Tax
Such situation would not arise as the concept of CST would be eliminated with the introduction of IGST.	Since credit of CST, Entry tax, etc. are not allowed; the problem of cascading effect arises.	Cascading Effect
Tax compliance is expected to be more assessee-friendly as GST would subsume other tax laws.	Due to a multiplicity of laws and provisions which are required to be followed, tax compliance is more complex.	Compliance



प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर : एक तुलनात्मक विवेचन

(Direct and Indirect Tax : A Comparisonative Explanation)

प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए प्रो. डी मार्को ने यह मत व्यक्त किया कि 'प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रो. डी मार्को के अनुसार धनी व्यक्तियों की सम्पूर्ण आय का सही माप नहीं किया जा सकता। यह तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष करों का भार उन्हीं व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है जिनकी आय की गणना की जा सकती है, जैसे, वेतन पाने वाले कर्मचारी। इसके विपरीत, कुछ ऐसे अधिक आय वाले लोग होते हैं जिनकी आय जो अधिक होती है किन्तु उनकी आय की सही गणना नहीं की जा सकती, जैसे, डॉक्टर, वकील इत्यादि। अतः ये लोग आय कर से बच जाते हैं। इस प्रकार इन करों का वितरण असमान हो जाता है। किन्तु अप्रत्यक्ष करों से इस असमानता को ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों की आय की गणना नहीं हो पाती और इस प्रकार करों से बच जाते हैं, उनके पास काफी आय बची रहती है जिसे वे वस्तुओं के क्रय करने पर खर्च करते हैं। ऐसी आय पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार करों के भार को विभिन्न वर्गों में समान रूप से वितरित किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं क्योंकि वे ऐसी आय पर लगाए जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष आय के अन्तर्गत नहीं आ पाते।

एक अन्य दृष्टि से भी अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं। एक व्यक्ति की आय में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। किन्तु प्रत्यक्ष करों में इनकी पूर्ण गणना नहीं हो पाती और लोग प्रत्यक्ष करों से बच जाते हैं। किन्तु व्यक्ति की आय बढ़ने से उसके उपभोग में वृद्धि हो जाती है, अप्रत्यक्ष करों के रूप में अधिक राशि का भुगतान करना होता है।

प्रो. डी मार्को के अनुसार, प्रत्यक्ष कर कई रूपों में अप्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं—**प्रथम**, ऐसी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाए जा सकते जिनका उपभोग स्वयं उत्पादकों द्वारा कर लिया जाता है, जैसे, कृषि। ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष

करों की आवश्यकता होती है। **दूसरे**, अप्रत्यक्ष कर, सब प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर नहीं लगाए जा सकते अतः एक व्यक्ति की आय पर अप्रत्यक्ष कर लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उस आय पर प्रत्यक्ष कर भी लगाया जाना चाहिए। **तीसरे**, प्रत्यक्ष करों के समान, अप्रत्यक्ष करों का भी अपवंचन किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से, केवल अप्रत्यक्ष करों के द्वारा ही व्यक्तियों की आय की सही गणना करों के लिए नहीं की जा सकती और पूरक के रूप में अप्रत्यक्ष कर लगाए जाने चाहिए।